


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित शिक्षा-अधिकारियों (प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि व समकक्ष) का, उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान से आहरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-


क्र.सं.	नाम अधिकारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक भय वर्तमान पदस्थापन	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्रीमती हेम शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि बगड राजपूत, अलवर	नवम्बर-2016 से फरवरी-2017	रा.बालिका उमावि लक्ष्मणगढ जिला अलवर
2	श्रीमती बबिता आहूजा, प्रधानाचार्य राउमावि सीतारामपुरा जिला टोंक	नवम्बर-2016 से दिसम्बर-2016 से फरवरी-2017 तक	राउमावि0 राजकोट जिला टोंक कोटाज-कोटडी जिला भीलवाडा
3	श्रीमती ज्योति भाटी, प्रधानाध्यापक रामावि0 कोतवाली जिला जोधपुर	नवम्बर-2016 से फरवरी-2017 तक	रामावि0 अभयगढ जिला जोधपुर
4	श्री रामावतार, प्रधानाचार्य, राउमावि मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं	नवम्बर-2016 से फरवरी-2017 तक	राउमावि भूदा का बास जिला झुंझुनूं
5	श्री रामचन्द्र सोनी, प्रधानाध्यापक राउमावि0 निम्बोदा जिला चित्तौडगढ	फरवरी-2017 से मार्च 2017 तक	राउमावि निम्बोदा-चित्तौडगढ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो नियमानुसार अवकाश प्रकरण का निस्तारण कर तदुपरान्त ही वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे।


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/वेतन व्यवस्था/2017/05 दिनांक : 28 मार्च, 2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्यमिक शिक्षा)
3. संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
4. गार्ड फंजिका


संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर